दिनांक 30–11–2017 को परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में लीड एजेन्सी के अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

परिवहन विभागः–

1– श्रीमती सुनीता सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, मुख्यालय।
2– श्री नरेश संगल, सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा, मुख्यालय।
3– श्री हीरा सिंह बर्गली, सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा, मुख्यालय।
4– श्री धर्मपाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।

सदस्यः–

1– श्री केवल खुराना, ए0आई0जी0 (ट्रेफिक) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– श्री अजय सिंह, उप आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– श्री आर0 सी0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
4– श्री आर0 सी0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, एन0एच0 लो0नि0वि0, देहरादून।
5– श्री ए0आर0 सेमवाल, अपर आयुक्त, आबकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
8– श्री आर0के0 कलवार, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9– श्रीमती एम0बी0 रावत, उप निदेशक, एससीईआरटी, देहरादून।
10– डा0 वी0 पी0 अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– श्री एस0 सी0 भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा विभाग।
12– श्री पी0एन0 गावसने, आर0एस0ओ0, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
13– श्री संजय कुमार, टीम लीडर, आई0सी0टी0, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
14– श्री प्रबोध कुमार धिड़िल्याल, यातायात निरीक्षक पुलिस, पुलिस विभाग, देहरादून।
15– पी0एस0 गुंसाई, परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
16– श्री शेलेन्द्र सिंह डोंगी, वाईपी, पीआईयू, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
17– श्री निखिलेश नोटियाल, वाईपी, (टी0) आर0ओ0, देहरादून।
18– श्री हरीश सिंह राना, एन0एच0–58, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
19– श्री अतुल कुमार शर्मा, एन0एच0–58, 72, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
20– श्री पी0एस0 पाण्डेय, मैनेजर (टैक्नीकल) एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
21– श्री मनमोहन सिंह, उपनिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।

बैठक का शुभारम्भ करते हुए अपर परिवहन आयुक्त द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश दिनांक 24–11–2017 से सभी अधिकारियों को अवगत कराते हुए वांछित सूचना दिनांक 15–12–2017 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 19–12–2017 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिन्ग बैठक एवं माह दिसम्बर 2017 में मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक प्रस्तावित है। कृपया सभी विभाग पूर्व बैठकों में दिए गये निर्देशों के अनुपालन में आख्या/ए0टी0आर0 प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव, महोदय द्वारा राज्य में वर्ष 2020 तक दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य

रखा गया है। अतः सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाते हुए कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि उक्त लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकें।

3— परिवहन आयुक्त द्वारा लीड एजेन्सी को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए निर्देश दिए गये कि लीड एजेन्सी द्वारा स्वतन्त्र ईकाई के रूप में कार्य किया जाए। लीड एजेन्सी को कियाशील बनाये जाने हेतु वाहनों के क्रय की कार्यवाही की जाए, और जब तक वाहन क्रय नहीं होता है, तब तक वाहन किराये पर लेने की कार्यवाही कर ली जाए।

4— लीड एजेन्सी के कार्य में गति लाने हेतु अधिकारियों के साथ सहायको की तैनाती भी प्राथमिकता के आधार पर की जाए। इस हेतु प्रथम चरण में पुलिस, लोक निर्माण विभाग एवं शिक्षा विभाग से एक–एक सहायक/डाटा एन्ट्री आपरेटर की तैनाती कर दी जाय। साथ ही परिवहन विभाग स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सहायको की तैनाती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5— मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर जनपदों हेतु विशेष कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिए गये है। उक्त के क्रम में परिवहन आयुक्त द्वारा इन जनपदों में विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए जनपदवार कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिए गये। साथ ही यह भी निर्देश दिए गये कि दुर्घटनाकारक अभियोगों यथा–सीट बैल्ट/हेल्मेट सम्बन्धी प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

6— मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई कि रैड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के प्रकरणों मे लाईसेन्सों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुतियां अतयन्त कम है। उक्त के क्रम में परिवहन आयुक्त द्वारा ऐसे प्रकरणों में कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गये। यह भी निर्देश दिए गये कि उक्त प्रकार के अभियोगों में लाईसेन्स के विरूद्व केवल निलम्बन की कार्यवाही ही नहीं की जाय अपितु उनके लाईसेन्स निरस्तीकरण की संभावना का भी परीक्षण कर लिया जाय, और तदनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

7— पुलिस विभाग द्वारा जो चालान लाईसेन्स की कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जा रहे है, उनमें से कुछ में चालक लाईसेन्स संलग्न नहीं होता है, अथवा लाईसेन्स के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होती है, जिसके अभाव में लाईसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही नहीं हो पाती। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गये कि चालानिंग अधिकारी द्वारा चालान के साथ लाईसेन्स अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय ताकि सम्बन्धित चालक के लाईसेन्स के विरूद्व कार्यवाही की जा सके।

8— अधिसूचना दिनांक 20–11–2017 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है। अतः सभी विभाग नियमावली में विनिर्दिष्ट कार्यो के सम्बन्ध में अपने औचित्यपूर्ण प्रस्ताव दिनांक 31–12–2017 तक लीड एजेन्सी को उपलब्ध करा दें, ताकि उनका परीक्षण करते हुए प्रस्ताव मुख्य सचिव महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

9— आगामी फॉग के मौसम को देखते हुए लो0नि0विभाग एवं एनएचएआई को जैब्रा क्रासिंग एवं रोड मार्किंग का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गये कि उपरोक्त तीनों जनपदों के ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण की कार्यवाही भी प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की जाए। साथ ही निर्देश दिए गये राज्य में उपलब्ध 124 ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की जाए।

10– लीड एजेन्सी के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा ब्लैक स्पॉट, रोड साईन्स, जैब्रा क्रासिंग, रोड मार्किंग के अतिरिक्त वाहनों की फिटनेस के समय स्पीड गवर्नर लगाये जाने आदि की आकस्मिक जॉच की जाए।

11– शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बच्चों के मध्य जनजागरूकता बढाये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद स्तर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता सेमीनार का आयोजन किया जाए।

12– आबकारी विभाग द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार पूर्व में 426 दुकानों को राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से हटाया गया था। इस सम्बन्ध में आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पर्वतीय जनपदों में छूट प्रदान की गयी है। अतः निर्देश दिये गये कि कृपया मा0 उच्चतम् न्यायालय के अद्यतन आदेश सहित दुकानों को हटाये जाने की वर्तमान स्थिति से प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराया जाय।

13– मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग की भॉति सीमा सड़क संगठन से भी रूपये–10.00 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं में रोड सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य किये जाने के निर्देश दिए गये है। कृपया उक्त निर्देशों के अनुपालन में सीमा सड़क संगठन स्तर पर कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करायी जाय।

14– पूर्व में उपलब्ध सूचना के अनुसार सिनेमाघरों के लाईसेन्स शर्त में सड़क सुरक्षा फिल्मों का निःशुल्क प्रदर्शन जोड़ दिया गया है तथा वर्तमान में 29 सिनेमाघरों में सड़क सुरक्षा फिल्म दिखाई जा रही है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गये कि प्रकरण में अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाय।

15– मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विगत 3–4 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाना है, जिसके लिये पूर्व में यह अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2013 से 2016 तक चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर प्रतिवर्ष घटित सड़क दुर्घटनाओं का वाहनवार/जनपदवार विवरण उपलब्ध करा दें परन्तु अभी तक उक्त सूचना प्राप्त न होने के कारण अनुपालन नहीं हो पा रहा है। अतः पुनः अनुरोध किया गया कि पुलिस विभाग द्वारा वांछित सूचना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दी जाए ताकि तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके। साथ ही भविष्य में प्रतिमाह दुर्घटनाओं का वाहनवार विवरण उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गये।

16– गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के प्रशिक्षण हेतु पुलिस विभाग के अधिकारियों के नाम मांगे गये थे, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। अतः पुनः अनुरोध है कि प्रत्येक जनपद से 02 नाम उपलब्ध कराये जाए ताकि आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके।

17– लोक निर्माण विभाग एवं शहरी विकास विभाग द्वारा भी अनाधिकृत होर्डिंग्स एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत की जाय।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या–1010 / स0सु0 / 1–8(14) / 2017 दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

उपरोक्त की प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव / सचिव, चिकित्सा / शिक्षा विभाग / आबकारी / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग / गृह / लोक निर्माण विभाग / शहरी विकास विभाग / उत्तराखण्ड शासन।
3– महानिदेशक / निदेशक, शिक्षा विभाग, पुलिस, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– आयुक्त, आबकारी / मंनोरंजन कर, उत्तराखण्ड।
5– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6– रीजनल आफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
7– कमाण्डेट, सीमा सड़क संगठन, शिवालिक परियोजना, आईडीपीएल, वीरभद्र, ऋषिकेश।
8– उपस्थित अधिकारीगण।

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।